

SHRI RAM RAJYAM

Dated: 19/08/2025

To

The Hon'ble Secretary/Technical Advisor,
Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Naveen Bhavan, Rajya Niyojan Sansthan,
Kala Kankar House, Old Hyderabad
Lucknow- 226007

Subject: Additional documents as desired by Hon'ble Authority for the Project, Shri Ram Rajyam, ID 1625255.

Sir,

It is respectfully submitted that the registration application for our proposed project, Shri Ram Rajyam, with ID 1625255, is pending for approval with the U.P. RERA, and the online hearing for the consideration of the same was conducted on 14/08/2025. During the meeting, we have been directed to furnish documents as below:

- A) Photograph and Aadhar Card of all the Directors of the partner company.
- B) Form RA-7, on the Banker's Letter Head.
- C) Copy of a few leftover mutation orders.
- D) Design of Nala, to be preserved and maintained.
- E) Coordinates of all four corners of the project site.

In this regard, it is submitted that we have updated the coordinates on the portal, and we are herewith submitting the desired documents as above. You are requested to kindly take the same on record and further humbly request that to kindly grant us the registration for the subject project.

Thanking you,

Sincerely yours, **SHRI RAM RAJYAM**

For Shri Ram Rajyam 

AUTHORISED SIGNATORY

Partner/Authorized Signatory

 Registered Office: - Aspire 2, 701, Supertech Emerald Court,
Sector- 93A, Gautam Buddha Nagar, Noida 201301 UP

 Email:- rera@shriramrajyam.com  91-9355057567

Ministry Of Corporate Affairs

Date : 19-08-2025 6:57:57am

Director/Signatory Details

Sr. No	DIN/PAN	Name	Designation	Category	Date of Appointment	Cessation Date	Signatory
1	02217737	SUNNY KATYAL	Director	Promoter	25/02/2014	-	Yes
2	02745199	SAKSHI KATYAL	Director	Promoter	25/02/2014	-	Yes
3	02217683	HONEY KATYAL	Director	Promoter	25/02/2014	-	Yes
4	06916652	RAHUL RASTOGI	Director	Promoter	05/02/2019	-	Yes



भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India


नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 1418/20144/04768

Download Date: 21/01/2021

To
सनी कत्याल
Sunny Katyal
S/O: Ramesh Chand Katyal
Villa No-3, A T S Village
Sector-93 A
Noida
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh - 201301
9717460000

Issue Date: 30/09/2014

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunny Katyal
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA 04
Date: 2021.01.21 15:23:16
IST



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

4601 0464 1725

VID : 9165 8293 4029 2407

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



Download Date: 21/01/2021



सनी कत्याल
Sunny Katyal
जन्म तिथि/DOB: 22/05/1981
पुरुष/ MALE

Issue Date: 30/09/2014

4601 0464 1725

VID : 9165 8293 4029 2407

मेरा आधार, मेरी पहचान



Government of India



सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- सुरक्षित QR कोड / ऑफलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से पहचान प्रमाणित करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- Verify identity using Secure QR Code/ Offline XML/ Online Authentication.
- This is electronically generated letter.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना आसान बनाता है।
- आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट रखें।
- आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, mAadhaar App के साथ।

- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar helps you avail various Government and non-Government services easily.
- Keep your mobile number & email ID updated in Aadhaar.
- Carry Aadhaar in your smart phone – use mAadhaar App.




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
संबोधित: रमेश चन्द कत्याल, विला न-3, ए टी एस विलेज,
सेक्टर-93 ए, नॉएडा, गौतमबुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश - 201301


Address:
S/O: Ramesh Chand Katyal, Villa No-3, A T S
Village, Sector-93 A, Noida, Gautam Buddha
Nagar,
Uttar Pradesh - 201301



4601 0464 1725

VID : 9165 8293 4029 2407

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in






भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 1418/20144/04767

To
साक्षी कृत्याल
Sakshi Katyal
W/O: Honey Katyal,
Villa No-3,A T S Village,
Sector-93 A,
VTC: Noida,
PO: Noida,
Sub District: Gautam Buddha Nagar,
District: Gautam Buddha Nagar,
State: Uttar Pradesh,
PIN Code: 201301,
Mobile: 9310193000



Validity unknown

Digital Signature
AUTHORITY CERTIFICATION
Date: 2024-11-15 22:08:15
GMT+05:30

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

4932 3896 7634

VID : 9137 2740 6918 4856

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



साक्षी कृत्याल
Sakshi Katyal
जन्म तिथि/DOB: 04/05/1978
महिला/ FEMALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/
ऑनलाइन एक्सप्रेसन की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship
or date of birth. It should be used with verification (online
authentication, or scanning of QR code / of the XML).

4932 3896 7634

मेरा आधार, मेरी पहचान



Government of India



सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पत्र को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समयेन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदों/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in.
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
संबोधित: हनी कृत्याल, विला न-3,ए टी एस विलेज, सेक्टर-
93 ए, नोएडा, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश - 201301

Address:
W/O: Honey Katyal, Villa No-3,A T S Village,
Sector-93 A, Noida, PO: Noida, DIST:
Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh - 201301

Details as on: 18/01/2024



4932 3896 7634

VID : 9137 2740 6918 4856



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in





भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India



E-Aadhaar Letter

नामांकन क्रमांक/Enrolment No.: 1418/20144/04765

Honey Katyal (हनी कत्याल)

S/O: Ramesh Chand Katyal, Villa No-3, A T S Village,
Sector-93 A, Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh - 201301

आपका आधार क्रमांक/ Your Aadhaar No.:

4009 2226 0785



आधार-आम आदमी का अधिकार



1800 300 1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार के लिए आपको एक ही बार नामांकन दर्ज करवाने की आवश्यकता है।
- कृपया अपना नवीनतम मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता दर्ज कराएं, इससे आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

Validity unknown

Digitally signed by Sandeep Bhardwaj
Date: 2014.10.17 16:31:50 IST



- Aadhaar is valid throughout the country.
- You need to enrol only once for Aadhaar.
- Please update your mobile number and e-mail address. This will help you to avail various services in future.



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



हनी कत्याल
Honey Katyal
जन्म तिथि/ DOB: 04/08/1979
पुरुष / MALE



पता:

संबोधित: रमेश चन्द कत्याल,
विला न-3, ए टी एस विलेज,
सेक्टर-93 ए, नॉएडा,
गौतमबुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश - 201301

Address:

S/O. Ramesh Chand Katyal, Villa No-
3, A T S Village, Sector-93 A, Noida,
Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh - 201301

4009 2226 0785

4009 2226 0785

आधार-आम आदमी का अधिकार

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar



Form-RA-7

Confirmation of Standing Advice for Auto-Transfer Between Project Accounts.

To,
The Secretary Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Sub: Confirmation of Receipt of Standing Advice for Auto-Transfer from Collection Account to Separate Account and Transaction Account of the Project and opening of the accounts accordingly.

Sir,

With reference to the Real Estate Project (Maintenance and Operation of Separate Bank Account) Revised Directions, 2003 issued by Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, we confirm that the three banks' accounts have been opened by **SHRI RAM RAJYAM** for the project **SHRI RAM RAJYAM** in our bank branch with following details:

- Address of the Branch: **ICICI Bank Ltd, 19, 22 NAHAR BAGH NIYAWA FAIZABAD UTTAR PRADESH - 224001**
- IFS code: **ICIC0000290**
- Phone number with: **- 8094013457**
- E-mail of the branch: **vivek.kumar@icicibank.com**

We hereby also confirm the receipt of following standing advice given by the promoter with respect to three banks accounts

1. The three bank accounts, namely 'Collection Account', 'Separate Account' and 'Transaction Account' have been opened as prescribed in Real Estate Project (Maintenance and Operation of Separate Bank Account) Revised Directions, 2023.
2. The nomenclature of the three bank accounts is as follows:

Account Type	Account Number	Name of the Account
COLLECTION ACCOUNT	777705700164	SHRI RAM RAJYAM COLLECTION ACCOUNT FOR SHRI RAM RAJYAM
SEPARATE ACCOUNT	777705708124	SHRI RAM RAJYAM SEPARATE BANK ACCOUNT FOR SHRI RAM RAJYAM
TRANSACTION ACCOUNT	777705739683	SHRI RAM RAJYAM RERA TRANSACTION ACCOUNT FOR SHRI RAM RAJYAM

3. The standing advice for end-of-day auto-transfer of money deposited in the Collection Account in a proportion of 70% to Separate Account and 30% to Transaction Account has been applied.
4. Cheque book, debit card and/or net banking facility, issuance of demand draft, bank guarantee etc shall not be provided for the Collection Account and Separate Account.
5. Withdrawal/transfer from the Separate Account of the Project shall be allowed only upon assessment of the Architect, Engineer, and Chartered Account certificates given by the promoter
6. This is to confirm that the accounts as opened by the promoter **SHRI RAM RAJYAM** for the project **SHRI RAM RAJYAM** shall be operated as per above standing advice given by the promoter.

Yours faithfully,




Signature of the Concerned Branch Manager

Name and Signature number of the Concerned Branch Manager

PH: **8094013457**

Seal of the concerned bank branch/ Branch Manager



TITLE : - GATA/PLOT NO.- 242 , MAUZA/VILL.- HARIPUR JALALABAD , AYODHYA

SUBJECT : - TYPICAL SECTION OF R.C.C. STORM WATER DRAIN

VIKRAM JAISWAL
 SUBHASH NAGAR , AYODHYA
 Email : - jaiswalassoc@gmail.com



न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या :- T202404230201252
वाद संख्या :- 1252/2024
गीता कत्याल बनाम उमर प्रताप वर्मा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि :- 17/05/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद श्रीराम राज्यम एस्पायर-2 के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 11.08.2023 क्रमांक संख्या 4966 प्रतिफल धनराशि मु0-3445000/-रू0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। बाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं की है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 100 पर अंकित गाटा संख्या 209ग/0.0310हे. सम्पूर्ण अंश लगानी 0.10रू. से विक्रेता राम उजागिर मौर्य पुत्र स्व. बालगोविन्द मौर्य निवासी जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली तहसील सदर जिला अयोध्या व खाता संख्या 478 पर अंकित गाटा संख्या 209घ/ 0.034हे. सम्पूर्ण अंश से विक्रेता राम उजागिर पुत्र बालगोविन्द निवासी जलालाबाद मौजा हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम दर्ज हो बादहू, खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम एस्पायर -2 701 सुपर टेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93 ए गौतम बुद्धनगर नोएडा द्वारा पार्टनर श्रीमती गीता कत्याल पुत्री रमेश कत्याल निवासी बिला न. 3 ए. टी. एस. विलेज सेक्टर 93 ए गौतम बुद्धनगर नोएडा उत्तर प्रदेश का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 11.08.2023 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
तहसीलदार (न्यायिक)
सोहावल अयोध्या



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202304230204799
वाद संख्या:- 4799/2023
अभिषेक वंसल बनाम उदय प्रताप सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/10/2023

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर.सी. प्रपत्र-13 एवं श्रीरामराज्यम के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 06.09.2023 क्रमांक संख्या 5632 प्रतिफल धनराशि मु0-7330500/-रु0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जो उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 185/0.0820हे. व 186/0.1560हे. व 189/0.0400हे. व 182/0.3930हे. व 213/0.3550हे. व 214/0.0950हे. व 238/0.9110हे. व 216ख/0.4600हे. व 215/0.0160हे. कुल 9 किता रक्बा 2.508हे. मे से 3180.6 वर्ग मी. अपना सम्पूर्ण अंश लगानी 0.30रु. से विक्रेता उदय प्रताप सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी प्रताप कला अम्बेडकरनगर व राम शंकर सिंह पुत्र त्रिभवन सिंह निवासी रामपुर पुआरी तहसील सदर जिला अयोध्या व विजय कुमार सिंह पुत्र त्रिभवन सिंह निवासी साकेतपुरी कालोनी रानोपाली तहसील सदर जिला अयोध्या व संजय यादव पुत्र मंगली प्रसाद यादव निवासी रामपुर पुवारी तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीरामराज्यम निवासी एक्सपायर 2-70 सुपर टेकटूमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93 ए गौतमबुद्धनगर नोयडा द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक वंसल पुत्र हरीओम वंसल फ्लैट न. 306 ग्रेड ओम क्षेत्र ब्लाक इंटर कालेज केपास नोयडा गौतमबुद्धनगर का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 06.09.2023 के आधार पर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
तहसीलदार(न्यायिक)
सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202304230204177
वाद संख्या:- 4177/2023
अभिषेक बंसल बनाम संजय यादव
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/02/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर.सी. प्रपत्र-13 एवं श्रीराम राज्यम एस्पायर के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 14.08.2023 क्रमांक संख्या 5025 प्रतिफल धनराशि मु0-4158000/-रू0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जो उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 185/0.0820हे. व 186/0.1560हे. व 189/0.0400हे. व 182/0.3930हे. व 213/0.3550हे. व 214/0.0950हे. व 238/0.9110हे. व 216ख/0.4600हे. व 215/0.0160हे. कुल 9 किता रक्बा 2.5080हे. में से 0.1390हे. लगानी 0.10रू. से विक्रेता संजय यादव पुत्र मंगली प्रसाद यादव निवासी रायपुर पुवारी परगना अमसिन तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम एस्पायर-2 सैक्टर 93ए गौतम बुद्ध नगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल, टावर लिंकन ए फ्लैट न0-306 ग्रैंड ओमक्षे विभाग बी नोएडा का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 14.08.2023 के आधार पर सहखातेदार दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
तहसीलदार(न्यायिक)
सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230204557
 वाद संख्या:- 4557/2024
 अभिषेक वंसल बनाम ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 19/03/2025

प्रस्तुत नामान्तरण वाद ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम खेलावन के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 14.08.2023 क्रमांक संख्या 5024 प्रतिफल धनराशि मु0-1351000/-रु० के आधार पर प्रारम्भ हुआ। वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार बैनामा भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 100 पर अंकित गाटा संख्या 208क/0.0130हे. में से रक्बा 0.00866हे. यानी 86.600 वर्ग मी. लगानी 0.20रु. से विक्रेता आनन्द कुमार पुत्र कृष्ण कुमार व उर्मिला देवी पत्नी कृष्ण कुमार निवासी हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम खेलावन निवासी पूरे जवाहर लाला मौजा कोछा बाजार अयोध्या दर्ज हो, बादहु खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम खेलावन निवासी पूरे जवाहर लाला मौजा कोछा बाजार अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्री राम राज्यम एस्पायर-2, 701 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतम बुद्धनगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम वंसल टवर लिंकन ए. फ्लैट नं० 306 गैरड ओमक्षे विभाग-93 बी. का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 14.08.2023 क्रमांक संख्या 5024 प्रतिफल धनराशि मु0-1351000/-रु०केआधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
 नायब तहसीलदार(मसौधा)
 सोहावल-अयोध्या।



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202304230204189
वाद संख्या:- 4189/2023
अभिषेक बंसल बनाम राकेश कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/02/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर.सी. प्रपत्र-13 एवं श्रीराम राज्यम एस्पायर के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 16.08.2023 क्रमांक संख्या 5037 प्रतिफल धनराशि मु0-4166000/-रू0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जो उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 185/0.0820हे. व 186/0.1560हे. व 189/0.0400हे. व 182/0.3930हे. व 213/0.3550हे. व 214/0.0950हे. व 238/0.9110हे. व 216ख/0.4600हे. व 215/0.0160हे. कुल 9 किता रक्बा 2.5080हे. में से 0.13933हे. लगानी 0.10रू. से विक्रेता राकेश कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी पूरा काशीनाथ मौजा हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम एस्पायर-2 सेक्टर 93ए गौतम बुद्ध नगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल, टावर लिंकन ए फ्लैट न0-306 ग्रैंड ओमक्षे विभाग बी नोएडा का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 16.08.2023 के आधार पर सहखातेदार दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
तहसीलदार(न्यायिक)
सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202304230204797
वाद संख्या:- 4797/2023
अभिषेक वंसल बनाम राम शंकर सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 06/02/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर.सी. प्रपत्र-13 एवं श्रीरामराज्यम के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 06.09.2023 क्रमांक संख्या 5627 प्रतिफल धनराशि मु0-4679000/-रु0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जो उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 185/0.0820हे. व 186/0.1560हे. व 189/0.0400हे. व 182/0.3930हे. व 213/0.3550हे. व 214/0.0950हे. व 238/0.9110हे. व 216ख/0.4600हे. व 215/0.0160हे. कुल 9 किता रक्बा 2.508हे. मे से 1850 वर्ग मी. अपना सम्पूर्ण अंश लगानी 0.30रु. से विक्रेता राम शंकर सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह व विजय कुमार सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी रामपुर पुवारी तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीरामराज्यम एसपायर द्वारा अभिषेक वंसल पुत्र हरीओम वंसल फ्लैट न. 306 ग्रेड ओम क्षेत्र बालक इंटर कालेज के पास नोयडा गोतमबुद्धनगर का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 06.09.2023 के आधार पर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
तहसीलदार(न्यायिक)
सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230204559
 वाद संख्या:- 4559/2024
 अभिषेक वंसल बनाम ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 03/09/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम खेलावन के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 18.09.2023 क्रमांक संख्या 5948 प्रतिफल धनराशि मु0-450000/-रु0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। पंजीकृत होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि क्रेता-विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरिपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 193 पर अंकित गाटा संख्या 181/0.0160 हे. व खाता संख्या 194 पर अंकित गाटा संख्या 187/0.0630 हे. व 217/0.1820 हे. कुल तीन किता रक्बा 0.261 हे. में से रक्बा 0.0185 हे. यानी 185 वर्ग मी. अपना सम्पूर्ण अंश लगानी 0.20 रु. से विक्रेता जुल्फिकार अली पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी ग्राम हरिपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम खेलावन निवासी पूरे जवाहर लाल कोछा जिला अयोध्या दर्ज हो, बादहू खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम खेलावन निवासी पूरे जवाहर लाल कोछा जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्री राम राज्यम एम्पायर-2, 701, सुपरटेक एसिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93 ए गौतम बुद्धनगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैलेजर अभिषेक वंसल पुत्र स्व0 हरिओम बंसल टवर लिंकन डी.-फ्लैट 306 ग्रेड ओमक्षे विभाग 93वी का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 18.09.2023 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
 नायब तहसीलदार(मसौधा)
 सोहावल-अयोध्या।



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202404230200944
 वाद संख्या:- 944/2024
 अभिषेक बंसल बनाम राम शंकर सिंह
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 15/02/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर. सी. प्रपत्र-13 एवं अभिषेक बंसल पुत्र हरिओम बंसल के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 22.11.2023 क्रमांक संख्या 7393 प्रतिफल धनराशि मु0-7200000/-रु0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जो उ.प्र.रा. संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि क्रेता-विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 169 पर अंकित गाटा संख्या 245/0.7370 है। मे से रक्बा 0.2948 है। वर्ग मी. लगानी 0.20रु. से विक्रेता राम शंकर सिंह व विजय कुमार सिंह पुत्रगण त्रिभुवन सिंह निवासीगण रामपुर पुवारी परगना अमसिन तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम एम्पायर 2,701 सुजरटेक ऐमिटेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतम बुद्ध नगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल टावर लिंकन डी. फ्लैट न0 306 ग्रैंड ओपक्षे विभाग 93बी का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 22.11.2023 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
 नायब तहसीलदार(मसौधा)
 सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

अभिषेक बंसल बनाम राम शंकर सिंह

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202504230201808

अंतर्गत धारा:- 34, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 03/04/2025


अंतिम आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण वाद श्रीराम राज्यम एस्पायर - 2 के हस्तानान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 12.10.2023 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। बाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा की प्रमाणित छायाप्रति, नकल खतौनी व शपथपत्र केता बयान परी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विकीत भूमि सहित केता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 5 पर अंकित गाटा संख्या 209ख / 0.0350हे. सम्पूर्ण अंश लगानी 0.10रू. से विक्रेता अखिलेश प्रताप सिंह पुत्र राम लोट सिंह व कमलेश प्रताप सिंह पुत्र राम लोट सिंह व नीलेश प्रताप सिंह पुत्र राम लोट सिंह निवासीगण हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके केता राम शंकर सिंह व बिजय कुमार सिंह पुत्रगण त्रिभवन सिंह निवासीगण ग्राम रामपुर पुवारी तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम दर्ज हो बादहु खाता गाटा रक्बा से विक्रेता राम शंकर सिंह व बिजय कुमार सिंह पुत्रगण त्रिभवन सिंह निवासीगण ग्राम रामपुर पुवारी तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके केता श्रीराम राज्यम एस्पायर-2, 701 सुपरहेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतम बुद्ध नगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल टवर लिंकन डी फ्लैट न०-306 ग्रेड ओमझे विभाग 93बी का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 12.10.2023 क्रमांक 6648 प्रतिफल धनराशि मु०-4200000/-रू० के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्धदण्ड देय नहीं है। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-



शिखर शुक्ला


नायब तहसीलदार (मसौदा)

सोहावल -अयोध्या।

महोदय,

R-6 के पृष्ठांक 237 के क्रमांक -166

पर अंकन किया गया।





न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202504230202047

वाद संख्या:- 2047/2025

श्री राम राज्यम एमपायर के द्वारा अभिषेक बंसल बनाम उदय प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 08/04/2025

प्रस्तुत नामान्तरण वाद श्रीराम राज्यम एम्पायर के द्वारा अभिषेक बंसल पुत्र हरिओम बंसल नामान्तरण प्रार्थना-पत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.11.2023 क्रमांक संख्या-7461 प्रतिफल धनराशि मु0-11051000/-रु0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथ-पत्र क्रेता-विक्रेता, बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विक्रेता-क्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार क्रेता की भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम-हरीपुर जलालाबाद, परगना-मंगलसी, तहसील-सोहावल, जिला-अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या-826 पर अंकित गाटा संख्या-238/0.91110हे0 मे से रक्बा 2085 वर्ग मीटर लगानी 0.10रु. से विक्रेता उदय प्रताप सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी-प्रतापपुर कला अम्बेडकरनगर व संजय यादव पुत्र मंगली प्रसाद निवासी रामपुर पुवारी पर अमसिन तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता राज्यम एम्पायर के द्वारा अभिषेक बंसल पुत्र हरिओम बंसल निवासी टवर लिंकन डी प्लैट नं-306 ग्रैंडओमक्षे विभाग 93 बी का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.11.2023 क्रमांक-7461 प्रतिफल धनराशि मु0-11051000/-रु0 के आधार पर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
तहसीलदार (न्यायिक)
सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230200936
 वाद संख्या:- 936/2024
 अभिषेक बंसल बनाम अमर प्रताप वर्मा
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 11/07/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर.सी. प्रपत्र-13 एवं श्रीराम राज्यम एस्पायर-2 के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.11.2023 क्रमांक संख्या 7451 प्रतिफल धनराशि मु0-528000/-रू0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जो उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 280 पर अंकित गाटा संख्या 179/0.1510हे. सम्पूर्ण 216घ/0.0510हे. व 230ख/0.0180हे. कुल दो किता रक्बा 0.0690हे. में से 0.0150हे. सम्पूर्ण अंश लगानी 0.10रू. से विक्रेता गजाधर पुत्र बाबूराम व सोनू वर्मा पुत्र लालचन्द्र व रामलला पत्नी लालचन्द्र निवासी गण ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगसली तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मढ़ना जिला अयोध्या का नाम दर्ज हो बादहू, खाता 280 गाटा 216घ/0.0510हे. में से 120 वर्ग मी. से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मढ़ना जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्री राम राज्यम एस्पायर-2, 701 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतम बुद्ध नगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल निवासी टवर लिंकन डी-फ्लैट न. 306 ग्रैंड ओमक्षे विभाग 93 बी का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.11.2023 के आधार पर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
 नायब तहसीलदार(मसौधा)



सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230201327
 वाद संख्या:- 1327/2024
 अभिषेक बंसल बनाम अमर प्रताप वर्मा
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 11/07/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर.सी. प्रपत्र-13 एवं श्रीराम राज्यम एस्पायर के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.11.2023 क्रमांक संख्या 7462 प्रतिफल धनराशि मु0-550000/-रू0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जो उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 30 पर अंकित गाटा संख्या 216क/0.0250हे. में से 125 वर्ग मी. लगानी 0.30रू. से विक्रेता सुखराम व धनीराम पुत्रगण बलेसर निवासी हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा पुत्र दतौली मड़ना जिला अयोध्या का नाम दर्ज हो बादहू, खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मड़ना जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम एस्पायर-2, 701 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतम बुद्ध नगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल निवासी टवर लिंकन डी-फ्लैट न. 306 ग्रैंड ओमक्षे विभाग 93 बी का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.11.2023 के आधार पर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
 नायब तहसीलदार(मसौधा)
 सोहावल-अयोध्या।



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230200912
 वाद संख्या:- 912/2024
 अभिषेक बंसल बनाम अमर प्रताप वर्मा
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 11/07/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर.सी. प्रपत्र-13 एवं श्रीराम राज्यम एस्पायर-2 के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.11.2023 क्रमांक संख्या 7457 प्रतिफल धनराशि मु0-1100000/-रू0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जो उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 185/0.0820हे. व खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 186/0.1560हे. व खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 189/0.0400हे. व खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 182/0.3930हे. व खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 213/0.3550हे. व खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 214/0.0950हे. व खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 216/0.4600हे. व खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 215/0.0160हे. व खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 238/0.9110हे. कुल रक्बा 2.508हे. में से 0.0250हे. लगानी 0.30रू. से विक्रेता उमेश कुमार पुत्र शिव प्रसाद निवासी पूरे काशीनाथ मौजा हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मढ़ना जिला अयोध्या का नाम दर्ज हो बादहू, खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मढ़ना जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम एस्पायर-2, 701 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतम बुद्ध नगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल निवासी टवर लिंकन डी-फ्लैट न. 306 ग्रैंड ओमक्षे विभाग 93 बी का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.11.2023 के आधार पर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर



हो।
दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
नायब तहसीलदार(मसौधा)
सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230203358
वाद संख्या:- 3358/2024
अभिषेक बंसल बनाम ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 17/12/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद श्रीराम राज्यम एस्पायर-2 के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 16.03.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुआ, जो उ०प्र०रा० संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 185 / 0.082 हे. व 186 / 0.156 हे. व 189/0.040 हे. व 182 / 0.393 हे. व 213/0.355 हे. व 214/0.095 हे. व 238/0.911 हे. व 216ख / 0.460 हे. व 215/0.016 हे. कुल 9 किता रक्बा 2.508 हे. में से रक्बा 0.04640 हे. अपना सम्पूर्ण अंश लगानी 0.50 रू. से विक्रेता श्रीमती राजधानी पत्नी अंगनू निवासी पूरे काशीनाथ मौजा हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम खेलावन निवासी पूरे जवाहर लाल कोछा जिला अयोध्या का नाम दर्ज हो बादहू, खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 185 / 0.082 हे. व 186/0.156 हे. व 189/0.040 हे. व 182 / 0.393 हे. व 213 / 0.355 हे. व 214/0.095 हे. व 238/0.911 हे. व 216ख / 0.460 हे. व 215/0.016 हे. कुल 9 किता रक्बा 2.508 हे. में से रक्बा 0.04640 हे. से विक्रेता ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम खेलावन निवासी ग्राम पूरे जवाहर लाल कोछा जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता राम राज्यम एस्पायर-2, 601 सुपरटेक, ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतमबुद्ध नगर नोएडा, 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल टवर लिंकन ए फ्लैट 306 ग्रेड ओमक्षे विभाग 93 बी नोएडा का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 16.03.2024 क्रमांक 1749 प्रतिफल धनराशि मु0-2042000/-रू0 के आधार पर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
तहसीलदार(न्यायिक)
सोहावल-अयोध्या।



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



मण्डल अयोध्या:, जनपद अयोध्या:, तहसील सोहावल:

न्यायालय तहसीलदार

वाद संख्या:- 5408/2024

अभिषेक बंसल

बनाम

अमर प्रताप वर्मा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202404230205408

अंतर्गत धारा:- 34, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 01/04/2025

अंतिम आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर.सी. प्रपत्र-13 एवं राम राज्यम एस्पायर-2 के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 05.12.2023 क्रमांक संख्या 7674 प्रतिफल घनराशि मु०- 1200000/-रु० के आधार पर प्रारम्भ हुआ जो उ०प्र०रा० संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहसीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 194 पर अंकित गाटा संख्या 187/0.0630हे. व गाटा संख्या 217/0.1820हे. व खाता संख्या 193 पर अंकित गाटा संख्या 181/0.0160हे. कुल 3 किता रक्बा 0.2610हे. में से 652.50 वर्ग मीटर सम्पूर्ण अंश लगानी 0.25रु. से विक्रेता राम मूरत पुत्र राम दयाल निवासी फतेहपुर सरैया तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मदन जिला अयोध्या का नाम दर्ज बादहू, खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मदन जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता राम राज्यम एस्पायर-2, 601 सुपरटेक, ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतमबुद्ध नगर नोएडा, 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल टवर लिंकन ए फ्लैट 306 ग्रेड ओमके विभाग 93बी नोएडा का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 16.03.2024 क्रमांक संख्या 1755 प्रतिफल घनराशि मु०- 3000000/-रु० के आधार पर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

दिनांक-

(प्रदीप कुमार सिंह)

तहसीलदार



न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230203853
वाद संख्या:- 3853/2024
अभिषेक बंसल बनाम अमर प्रताप वर्मा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 13/09/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर.सी. प्रपत्र-13 एवं राम राज्यम एस्पायर-2 के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.05.2024 क्रमांक संख्या 2808 प्रतिफल धनराशि मु०- 3800000/-रू० के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जो उ०प्र०रा० संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 194 पर अंकित गाटा संख्या 187/0.0630हे. व गाटा संख्या 217/0.1820हे. व खाता संख्या 193 पर अंकित गाटा संख्या 181/0.0160हे. कुल 3 किता रक्बा 0.2610हे. में से 0.09025हे. अपना सम्पूर्ण अंश लगानी 0.25रू. से विक्रेता राजेन्द्र यादव पुत्र राम नारायण यादव निवासी 1/7/8 तोगपुर तहसील सदर जिला अयोध्या व जयराम पुत्र राम सुमेर निवासी 133क मदरहिया जिला अयोध्या व विनय प्रताप सिंह पुत्र कमला प्रसाद सिंह निवासी हरिपुर जलालाबाद तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मदना जिला अयोध्या का नाम दर्ज बादहू, खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मदना जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता राम राज्यम एस्पायर-2, 601 सुपरटेक, ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतमबुद्ध नगर नोएडा, 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल निवासी टवर लिकन ए फ्लैट 306 ग्रेड ओमक्षे विभाग 93बी नोएडा का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.05.2024 के आधार पर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
तहसीलदार (न्यायिक)
सोहावल - अयोध्या।



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230204020
वाद संख्या:- 4020/2024
अभिषेक बंसल बनाम अमर प्रताप वर्मा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 25/07/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय सोहावल द्वारा प्रस्तुत आर.सी. प्रपत्र-13 एवं राम राज्य एस्पायर के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.05.2024 क्रमांक संख्या 2809 प्रतिफल धनराशि मु0-700000/-रु0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जो उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य अभाव वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार दानपत्र भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर दान ग्रहीता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 30 पर अंकित गाटा संख्या 216क/0.0250हे. में से 125 वर्ग मी. लगानी 0.10रु. से विक्रेता अम्बिका प्रसाद पुत्र बाबूराम व गया बख्श पुत्र जगदीश प्रसाद व राम प्रताप व केशवराम पुत्रगण शिव प्रसाद निवासी हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली जिला अयोध्या का दर्ज हो बादहू, खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता राम राज्य एस्पायर-2, 701 सुपरटेक, ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतम बुद्धनगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल टवर लिंकन ए-फ्लैट न. 307 ग्रैंड ओपक्ष विभाग 93 बी नोएडा का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.05.2024 के आधार पर सहखातेदार दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
नायब तहसीलदार(मसौधा)
सोहावल-अयोध्या।



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202404230203886
वाद संख्या:- 3886/2024
अभिषेक बंसल बनाम अमर प्रताप वर्मा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 21/12/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद श्रीराम राज्यम एस्पायर-2 के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.05.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुआ, जो उ०प्र०रा० संहिता 2006 की धारा-34 में वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 280 पर अंकित गाटा संख्या 216घ/ 0.0510हे. में से 0.03110हे. लगानी 0.20रू. से विक्रेता कन्हैयालाल पुत्र बाबूराम व राम बचन पुत्र मेवालाल व निर्मला पत्नी राम भवन व राजेश वर्मा पुत्र राम भवन व बलराम पुत्र अनन्तराम व वीरेन्द्र पुत्र लल्लन व हरीराम पुत्र मोहनलाल व राम उरेही पत्नी मोहनलाल व विजय कुमार पुत्र लालचन्द्र निवासीगण ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या व झिनका देवी पत्नी प्रेमचन्द व पवन कुमार व दुर्गा प्रसाद पुत्रगण प्रेमचन्द निवासीगण बरांव बीकापुर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मढ़ना जिला अयोध्या का नाम दर्ज हो बादहू, खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली मढ़ना जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्री राम राज्यम एस्पायर-2, 701 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतम बुद्ध नगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम बंसल निवासी टवर लिंकन डी-फ्लैट न. 306 ग्रैंड ओमक्षे विभाग 93 बी का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.05.2024 क्रमांक 2807 प्रतिफल धनराशि मु०- 1804000/-रू० के आधार पर सहखातेदार दर्ज हो। अर्धदण्ड देय नहीं है। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
तहसीलदार(न्यायिक)



सोहावल-अयोध्या

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या :- T202404230204021
 वाद संख्या :- 4021/2024
 अभिषेक बंसल बनाम ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि :- 30/10/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री राम खेलावन के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 02.04.2024 क्रमांक संख्या 2132 प्रतिफल धनराशि मु0-8650000/-रू0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि क्रेता-विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार बैनामा भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 185/0.082हे. व 186/0.156हे. व 189/0.040हे. व 182/0.393हे. व 213/0.355हे. व 214/0.095हे. व 238/0.911हे. व 216ख/0.460हे. व 215/0.016हे. कुल 9 किता रक्बा 2.508हे. में से रक्बा 0.209हे. यानी 2090 वर्ग मी. लगानी 0.20रू. से विक्रेता जावाहिर उर्फ जवाहर लाल वर्मा पुत्र रामरूप निवासी हरीपुर जलालाबाद तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी मौजा दतौली परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या व ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री राम खेलावन निवासी पूरे जवाहर लाल कोछा अयोध्या दर्ज हो, बादहू खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी मौजा दतौली परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या व ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री राम खेलावन निवासी पूरे जवाहर लाल कोछा अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्री राम राज्यम एम्पायर-2, 701 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतम बुद्धनगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम वंसल टवर लिंकल डी. प्लेट नं0 306 गैरड ओमक्षे विभाग-93 बी. का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 02.04.2024 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्धदण्ड देय नहीं है। बाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-



(शेखर शुक्ला)
नायब तहसीलदार(मसौदा)
सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230205200
 वाद संख्या:- 5200/2024
 अभिषेक वंशल बनाम अमर प्रताप सिंह
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 07/09/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद अमर प्रताप वर्मा पुत्र श्री हीरालाल वर्मा के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 29.05.2024 क्रमांक संख्या 3380 प्रतिफल धनराशि मु0-2836000/-रु० के आधार पर प्रारम्भ हुआ। वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार बैनामा भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 255 पर अंकित गाटा संख्या 209क/0.1070हे. में से रक्बा 0.05350हे. यानी 535 वर्ग लगानी 0.20रु. से विक्रेता नसीर खां पुत्र शब्बीर खां निवासी रायपुर कोटसराय परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र श्री हीरालाल वर्मा निवासी दतौली, मड़ना, अयोध्या दर्ज हो, बादहू खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र श्री हीरालाल वर्मा निवासी दतौली, मड़ना, अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्री राम राज्यम एम्पायर-2, 701 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 931 गौतम बुद्धनगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम वंसल टवर लिंकल ए. फ्लैट नं० 306 गैरड ओमक्षे विभाग-93 बी. का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 29.05.2024 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
 नायब तहसीलदार(मसौधा)
 सोहावल-अयोध्या।



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230205106
 वाद संख्या:- 5106/2024
 अभिषेक वंशल बनाम अमर प्रताप वर्मा
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 07/09/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद अमर प्रताप वर्मा पुत्र श्री हीरालाल वर्मा के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 29.05.2024 क्रमांक संख्या 3381 प्रतिफल धनराशि मु0-780000/-रू0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार बैनामा भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 263 पर अंकित गाटा संख्या 208ख/0.1030हे. में से रक्बा 0.00650हे. यानी 65 वर्ग मी. लगानी 0.20रू. से विक्रेता नसीर खां पुत्र शब्बीर खां निवासी रायपुर कोटसराय परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र श्री हीरालाल वर्मा निवासी दतौली, मड़ना, अयोध्या दर्ज हो, बादहू खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र श्री हीरालाल वर्मा निवासी दतौली, मड़ना, अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्री राम राज्यम एम्पायर-2, 701 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 931 गौतम बुद्धनगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र स्व. हरिओम वंसल टवर लिंकल ए. फ्लैट नं0 306 गैरड ओमक्षे विभाग-93 बी. का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 29.05.2024 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्धदण्ड देय नहीं है। बाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
 नायब तहसीलदार(मसौधा)
 सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230205201
 वाद संख्या:- 5201/2024
 अभिषेक वंशल बनाम संजय यादव
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 07/09/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद अभिषेक बंसल पुत्र श्री हरिओम बंसल के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.05.2024 क्रमांक संख्या 3328 प्रतिफल धनराशि मु0-215000/-रू0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि क्रेता-विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 765 पर अंकित गाटा संख्या 207/0.1070हे. मे से रक्बा 17.89 वर्ग मी. सम्पूर्ण अंश लगानी 0.20रू. से विक्रेता संजय यादव पुत्र श्री मंगली प्रसाद यादव रामपुर पुवारी तहसील सदर अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम एम्पायर-2-701 सुपरटेक ऐमिटेल्ड कोर्ट सेक्टर 931 गौतम बुद्धनगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र श्री स्व0 हरिओम बंसल टवर लिंकन ए फ्लैट नं0 306 ग्रैंड ओमक्षे विभाग 93बी का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.05.2024 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
 नायब तहसीलदार(मसौधा)
 सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, रौनाही
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202404230206437
 वाद संख्या :- 6437/2024
 श्रीराम राज्यम बनाम अविनाश सिंह
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि :- 19/11/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद श्रीराम राज्यम एस्पायर-2 के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.06.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। बाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 765 पर अंकित गाटा संख्या 207/0.1070 हे. में से 17.89 वर्ग मी. लगानी 0.10रू. से विक्रेता अविनाश सिंह पुत्र लाल जी सिंह निवासी बनवीरपुर परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम एस्पायर-2, 601 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोई सेक्टर 93ए गौतमबुद्ध नगर नोएडा 20/301 के द्वारा मैनेजर पंकज कुमार शर्मा पुत्र गोविन्द स्वरूप शर्मा सेक्टर 4-704 सुपरटेक सेक्टर 934 नोएडा का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.06.2024 क्रमांक 4038 प्रतिफल धनराशि मु0-216000/-रू0 के आधार पर सहखातेदार दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-

(रेशू जैन)
 नायब तहसीलदार(रौनाही)
 सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202404230205104
 वाद संख्या:- 5104/2024
 पंकज कुमार शर्मा बनाम अमर प्रताप वर्मा
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 05/12/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद पंकज कुमार शर्मा पुत्र गोविन्द स्वरूप शर्मा के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 26.06.2024 क्रमांक संख्या 3992 प्रतिफल धनराशि मु0-3400000/-रु0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 185/0.0820हे. व 186/0.1560हे. व 189/0.0400हे. व 182/0.3930हे. व 213/0.3550हे. व 214/0.0950हे. व 238/0.9110हे. व 216ख/0.4600हे. व 215/0.0160हे. कुल रक्बा 0.2090हे. में से रक्बा 0.1045हे यानी 1045 वर्ग मी. लगानी 0.20रु. से विक्रेता जवाहिर उर्फ जवाहर लाल वर्मा पुत्र राम रूप निवासी हरीपुर जलालाबाद तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली परगना हवेली अवध तहसील सदर अयोध्या व ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम खेलावन निवासी पूरे जवाहरलाल कोछा अयोध्या दर्ज हो, बादहू खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली परगना हवेली अवध तहसील सदर अयोध्या व ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम खेलावन निवासी पूरे जवाहरलाल कोछा अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम ऐम्पायर-2-701 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 931 गौतम बुद्धनगर नोएडा 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर पंकज कुमार शर्मा पुत्र गोविन्द स्वरूप शर्मा निवासी सेक्टर-4, 704 सुपरटेक ऐमरल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए नोएडा गौतम बुद्धनगर का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 26.06.2024 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-



(शेखर शुक्ला)
नायब तहसीलदार(मसौधा)
सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या :- T202404230207752
वाद संख्या :- 7752/2024
श्रीराम राज्यम एस्पायर बनाम वैष्णो लाल पाड़व
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 35
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि :- 07/12/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद श्रीराम राज्यम एस्पायर के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 10.09.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। बाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 280 पर अंकित गाटा संख्या 216घ/0.0510 हे. में से 85.9665 वर्ग मी. लगानी 0.10 रु० से विक्रेता केशवराम पुत्र अनन्तराम निवासी कबीर विज्ञान आश्रम, महोबरा बाजार, रानोपाली जिला अयोध्या व बाल गोविन्द पुत्र लल्लन निवासी हरीपुर जलालाबाद जिला अयोध्या व कमलेश कुमार वर्मा पुत्र राम भवन निवासी 62 अयोधारा सोसायटी उत्तरान चैटामी सूरत का नाम निरस्त करके क्रेता वैष्णोलाल यादव पुत्र शिव कुमार यादव निवासी मिशन कंपाउड जिला अयोध्या का नाम दर्ज हो बादहू खाता, गाटा, रक्बा से विक्रेता वैष्णोलाल यादव पुत्र शिव कुमार यादव निवासी मिशन कंपाउड जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम एस्पायर-2, 701 सुपरटेक ऐपिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतमबुद्ध नगर नोएडा 20/301 के खुद जनरल मैनेजर अभिषेक बंसल पुत्र हरिओम बंसल टवर लिंकन डी फ्लैट न० 306 ग्रेड ओमक्षे विभाग का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 10.09.2024 क्रमांक 5626 प्रतिफल धनराशि मु०-500000/- रु० के आधार पर सहखातेदार दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
तहसीलदार(न्यायिक)
सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, रौनाही
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202404230206436
 वाद संख्या:- 6436/2024
 श्रीराम राज्यम बनाम श्री अमर प्रताप वर्मा
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 25/11/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद श्रीराम राज्यम के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 24.01.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुआ, वाद पंज होकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्र साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। श के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है। आदे हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 263 पर अंकित गाटा 208ख/0.0130हे. में से 0.00650हे. व खाता संख्या 255 पर अंकित गाटा संख्या 209/0.107हे. में से 0.0107हे. कुल दो किता रक्बा 0.0172हे. ल 0.30रू. से विक्रेता निसार खां पुत्र शरीफ खां निवासी ग्राम कोटसराय परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके रे अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी दतौली, मदना जिला अयोध्या का नाम दर्ज हो बादहू खाता 263 पर अंकित गाटा संख्या 208ख/0.01 से 0.00650हे. व खाता संख्या 255 पर अंकित गाटा संख्या 209/0.107हे. में से 0.0107हे. कुल दो किता रक्बा 0.120हे. में से 279 वर्ग मी. से विवे अमर प्रताप वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी ग्राम दतौली मड़ना तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम निवासी एक्सपायर 2-709 सुपर टेक इमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93 ए गौतमबुद्धनगर नोएडा द्वारा जनरल मैनेजर श्री अभिषेक वसंत पुत्र हरीओम वसंत निवा न0-306 ग्रेड ओमराक्स बालक इंटर कालेज के पास नोएडा गौतमबुद्धनगर का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 24.01.2024 क्रमांक 448 प्र धनराशि मु0-3400000/-रू0 के आधार पर सहखातेदार दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक- जैन) नायब तहसीलदार(रौनाही) सोहावल-अयोध्या।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, मसौधा
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : अयोध्या, तहसील : सोहावल
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202404230204556
 वाद संख्या:- 4556/2024
 अभिषेक वंसल बनाम विजय कुमार सिंह
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 23/08/2024

प्रस्तुत नामान्तरण वाद श्रीराम राज्यम एम्पायर के हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र पर पंजीकृत बैनामा दिनांक 23.09.2023 क्रमांक संख्या 6190 प्रतिफल धनराशि मु0-6430000/-रू0 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। वाद पंजीकृत होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी किया गया, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी ने कोई आपत्ति नियत तिथि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, वाजदायर प्रार्थनापत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त वाजदायर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र क्रेता बयान तहरीरी विक्रेता प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। उक्त आराजी पट्टा, सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। शपथपत्र के अनुसार विक्रीत भूमि सहित क्रेता के परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12-1/2 एकड़ से कम भूमि है। शेष साक्ष्य पूर्ण है। वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रेताके पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरीपुर जलालाबाद परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली की खाता संख्या 826 पर अंकित गाटा संख्या 185/0.0820हे. व 186/0.1560हे. व 189/0.0400हे. व 182/0.3930हे. व 213/0.2550हे. व 214/0.0950हे. व 238/0.9110हे. व 216ख/0.4600हे. व 215/0.0160हे. कुल 9 किता रक्बा 2.5080हे. में से रक्बा 0.27253हे. लगानी 0.20रू. से विक्रेता विजय कुमार सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी रामपुर पुवारी पो0 मड़ना अभमिन तहसील सदर जिला अयोध्या व हाल पता निवासी प्रतीक्षा ए.ए.11 बैदेही नगर अयोध्या व रामशंकर सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी मौजा रामपुर पुवारी पो0 मड़ना परगना अमसिन तहसील सदर जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीराम राज्यम एम्पायर-2,701 सुपरटेक ऐमिरेल्ड कोर्ट सेक्टर 93ए गौतम बुद्ध नगर नोएड 20/301 के द्वारा जनरल मैनेजर अभिषेक वंसल पुत्र स्व0 हरिओम वंसल टवर लिंकन डी-फ़्लैट नं0 306 ग्रैंड ओमक्षे विभाग 93वी का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 23.09.2023 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। बाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक-

(शेखर शुक्ला)
 नायब तहसीलदार(मसौधा)
 सोहावल-अयोध्या।



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"